रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 13, 2007/श्रावण 22, 1929
No. 370] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 13, 2007/SRAVANA 22, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2007

सा.का.नि. 544(अ).—केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 की उप-धारा (1) के साथ पठित उप-धारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आपदा प्रबंधन (अभिकथित अपराध की सूचना) नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) अभिप्रेत है;

(ख) "जिला प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (1) के अधीन गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "राष्ट्रीय प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "राज्य प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अभिप्रेत है; और जिसमें उस धारा के अधीन संघ राज्य क्षेत्र के लिए गठित आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी सम्मिलित है ।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमश: उनका है ।

3. अभिकथित अपराध की सूचना और परिवाद करने का आशय.—किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 60 के खंड (ख) के अधीन किसी अभिकथित अपराध की और परिवाद करने के उसके आशय की, कोई सूचना, निम्नलिखित में से किसी कार्यालय को दी जाएगी या छोड़ी जाएगी—

(क) केन्द्रीय सरकार के उन मामलों में, जहां कोई परिवाद रेल से संबंधित है, के सिवाय, उस सरकार में संबद्ध मंत्रालय या विभाग का भारसाधक सचिव;

(ख) केन्द्रीय सरकार के उन मामलों में, जहां कोई परिवाद रेल से संबंधित है, उस रेल का प्रधान प्रबंधक;

(ग) राज्य सरकार के मामलों में, उस सरकार में संबद्ध विभाग का भारसाधक सचिव;

(घ) राष्ट्रीय प्राधिकरण के मामलों में, राष्ट्रीय प्राधिकरण का सचिव या यदि कोई सचिव नहीं है तो अपर सचिव;

(ङ) राज्य प्राधिकरण के मामलों में, राज्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(च) राज्य प्राधिकरण के मामलों में, जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ।

4. सूचना के साथ दी जाने वाली विशिष्टियां—

नियम 3 में निर्दिष्ट सूचना में निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :—

(क) अभिकथित अपराध की परिवाद करने की उसके आशय की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पता जिसमें टेलीफोन नंबर, यदि कोई हो, सम्मिलित है;

(ख) उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया जाना आशयित है, नाम और पता जिसमें टेलीफोन नंबर, यदि कोई हो, सम्मिलित है;

(ग) अभिकथित अपराध का वर्णन करते हुए परिवाद का कथन;

(घ) उसमें उपदर्शित किया गया ऐसा कथन कि अभिकथित अपराध की और किसी परिवाद को करने की उसके आशय की, कोई सूचना किसी अन्य सरकार या प्राधिकरण के कार्यालय को न दी गई है या न छोड़ी गई है ।

[फा. सं. 30/8/2006. एनडीएम. IV]

ओ. रवि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2007

G.S.R. 544(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) read with sub-section (1) of Section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Disaster Management (Notice of Alleged Offence) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);

(b) "District Authority" means the District Disaster Management Authority constituted under sub-section (1) of Section 25 of the Act;

(c) "National Authority" means the National Disaster Management Authority established under Section 3 of the Act;

(d) "State Authority" means the State Disaster Management Authority established under sub-section (1) of Section 14 of the Act and includes the Disaster Management Authority for the Union Territory constituted under that section;

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Notice of alleged offence and intention to make a complaint.—A notice under clause (b) of Section 60 of the Act by a person, of the alleged offence and his intention to make a complaint shall be delivered to, or left at, the office of one of the following—

(a) in the case of the Central Government, except where the complaint relates to a railway, the Secretary incharge of the concerned Ministry or the Department in that Government;

(b) in the case of the Central Government where the complaint relates to a railway, the General Manager of that railway;

(c) in the case of State Government, the Secretary incharge of the concerned Department in that Government;

(d) in the case of the National Authority, the Secretary or, if there is no Secretary, the Additional Secretary, of the National Authority;

(e) in the case of a State Authority, the Chief Executive Officer of the State Authority;

(f) in the case of a District Authority, the Chief Executive Officer of the State Authority;

4. Particulars to be furnished alongwith notice.—

The notice referred to in rule 3 shall contain the following information, namely :—

(a) name and address, including telephone number, if any, of the person giving the notice of his intention to make the complaint of an alleged offence;

(b) name and address, including telephone number, if any, of the person against whom the complaint is intended to be made;

(c) statement of complaint describing the alleged offence;

(d) statement indicating therein that no notice of the alleged offence and his intention to make a complaint has been delivered to, or left at, the office of any other Government or Authority.

[F. No. 30/8/2006. NDM. IV]

O. RAVI, Jt. Secy.